| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**भंवरलाल बनाम रामनारायण**<br>**प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023 / 107** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस(विड्रो) किये जाने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, इसलिये अपीलांट्स विचाराधीन अपील में अब कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहते है। इस कारण से अपीलार्थी अपनी अपील को विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील विड्रो करने के आदेश फरमाये जावे।<br>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है एवं विड्रो करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील विड्रो करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें एवं पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br>(पूनम)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |